

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद परिसर में वित्तीय वर्ष

2022-23 एवं 2023-24 हेतु केन्टीन की नीलामी की शर्तें ।

- नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया बोली के माध्यम से स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, फिरोजाबाद परिसर में सम्पन्न की जायेगी।
- जिला चिकित्सालय परिसर में निम्न तीन स्थानों पर अलग-अलग केन्टीन व्यवस्था हेतु एक ही नीलामी बोली लगाई जाएगी—
 - इमरजेन्सी
 - 100 शैय्या
 - पुरुष जिला चिकित्सालय
- नीलामी को प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक बोली दाताओं को दिनांक 21.07.2022 से दिनांक 28.07.2022 के अपरान्ह 04:00 बजे तक निम्नांकित अभिलेखों की स्वप्रामाणित प्रतियां एक बन्द लिफाफा में रखकर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, फिरोजाबाद परिसर में आकर जमा करना होगा।
 - नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बोलीदाता का पैनकार्ड, आधार कार्ड तथा जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 - फर्म स्वामी को प्रदत्त वैधचरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
 - वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 का ITR जो कि C.A. द्वारा प्रमाणित हो।
 - नीलामी बोलीदाता के विरुद्ध किसी भी न्यायालय आदि में कोई वाद (केस) दर्ज पंजीकृत ना होने एवं काली सूची (Black Listed) में दर्ज ना होने का 100 रु० के स्टाप पेपर पर शपथ पत्र।
 - किसी भी सरकारी कार्यालय/निगम में केन्टीन ठेका चलाने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव (वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक)
 - जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो कि धनराशि रु० 500000.00 (रु० पांच लाख मात्र) से कम का ना हो।
 - एफ०एस०एस०ए०आई० का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- दिनांक 28.07.2022 के अपरान्ह 04:00 बजे तक इच्छुक नीलामी बोली दाताओं द्वारा जमा किये गये समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों की जांच की जायेगी एवं जॉचोपरान्त दिनांक 29.07.2022 को अर्ह नीलामी बोलीदाताओं की सूची कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।
- अर्ह नीलामी बोलीदाता दिनांक 30.07.2022 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तीनों स्थानों के लिए एकमुश्त जमानत की धनराशि रु 70000.00 (रु० सत्तर हजार मात्र) नगद स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, फिरोजाबाद में उपस्थित होकर जमा करेंगे।
- महाविद्यालय परिसर में केन्टीन व्यवस्था हेतु न्यूनतम आरक्षित बोली रु० 7,00,000 (रु० सात लाख मात्र) निर्धारित की जा रही है। इच्छुक नीलामी बोलीदाता को इस धनराशि से अधिक धनराशि की बोली लगाना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक अगली बोली न्यूनतम रु० 5000/- बढ़ाकर की जाएगी।
- उच्चतम बोली दाता की जमानत की धनराशि रोककर अन्य सभी बोली दाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।

9. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत की धनराशि, जमानत धनराशि को सम्मिलित करते हुए तत्काल नगद रूप में जमा करनी होगी। ऐसा ना करने पर जमानत धनराशि के रूप में जमा की गई धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।
10. उच्चतम बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् उच्चतम बोली के मूल्य का अवशेष 75 प्रतिशत तथा कुल धनराशि पर निर्धारित GST धनराशि दिनांक 04.08.2022 तक कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा बोली दाता द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत जमानत धनराशि जब्त करने के अधिकार विभाग का होगा।
11. उच्चतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कराने के तत्काल बाद ही उसे केन्टीन की समस्त व्यवस्थाएँ करनी होगी।
12. उक्त के अतिरिक्त सफल नीलामी बोलीदाता को रू0 75000.00 (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) दो वर्ष के लिए धरोहर धनराशि के रूप में बैंक डाफ्ट के माध्यम से जो कि **Principal Autonomous State Medical College Ferozabad** के पक्ष में देय हो, दिनांक 04.08.2022 तक जमा करना होगा।
13. नीलामी प्रक्रिया में बोली दाता द्वारा स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।
14. नीलामी के फलस्वरूप सफल बोली दाता को जिला चिकित्सालय परिसर में केन्टीन को सुरक्षात्मक व व्यवस्थित रूप में चलाने हेतु महाविद्यालय स्तर से निर्धारित स्थानों पर 10 फीट X15 फीट की जगह पर टीनसेट लगाकर दी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त अन्यव्यवस्था सफलबोली दाता द्वारास्वयं करनी होगी।
15. सफल बोली दाता को केन्टीन में कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करना होगा।
16. केन्टीन का संचालन 24x7 रहेगा। जिसमें पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता बोली दाता को करनी होगी।
17. केन्टीन एरिया में समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था सफल बोली दाता को रखनी होगी।
18. नीलामी प्रक्रिया को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्या स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में निहित होगा।
19. सफल बोली दाता को जलकर एवं विद्युत कर का भुगतान करना होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समक्ष न्यायालय जनपद फिरोजाबाद होगा।

आज्ञा से
प्रधानाचार्या